न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2020/00921 जिला–नागौर

अनराज पुत्र गिरधारी जाति साद निवासी ग्राम डावोली मीठी तहसील डेगाना जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना जिला नागौर।
2. मेघराज पुत्र गिरधारी जाति साद
3. रामरतन पुत्र गिरधारी जाति साद
4. जयप्रकाश पुत्र गिरधारी जाति साद
5. कैलाश चन्द पुत्र गिरधारी जाति साद
   समस्त निवासी ग्राम डावोली मीठी तहसील डेगाना जिला नागौर।
6. भैरूराम पुत्र रिद्धाराम जाति मेघवाल
7. मलाराम पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल
8. झूमरराम पुत्र शैतानराम जाति गुर्जर
9. सोहनलाल पुत्र मदनलाल जाति गुर्जर
10. मंगलाराम पुत्र मदनलाल जाति गुर्जर
11. राजुराम पुत्र मदनलाल जाति गुर्जर
12. हजारीराम गोदपुत्र दीपाराम गुर्जर
13. भगवानराम पुत्र अमराराम गुर्जर
14. प्रेमाराम पुत्र अमराराम गुर्जर
15. मंगीलाल पुत्र हेमाराम गुर्जर
16. मोतीराम पुत्र शैतानराम गुर्जर
    समस्त निवासी ग्राम भंवरिया तहसील डेगाना जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना दिनांक 28–02–2019
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना संख्या 05/2019
बउनवान सरकार बनाम अनराज

उपस्थित— 1. श्री गिरीश पारीक अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या—1
3. श्री दिनेश कुमार साहू प्रत्यर्थी संख्या 6, 8 से 11 व 13 से 16

निर्णय

दिनांकः—01—03—2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, डेगाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के समक्ष नक्शा ट्रेस में चालू रास्ते की दुरूस्ती हेतु राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 के तहत ग्राम डावोली मीठी के आराजी खसरा नम्बर 171 तथा ग्राम भंवरिया के खसरा नम्बर 27, 28, 29, 133/29, 134/29, 135/29, 46, 136 कुल किता—9 कुल रकबा 36.05 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर रकबा जमाबंदी अनुसार साकिन देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार, डेगाना द्वारा उक्त अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अपने आदेश दिनांक 28—2—2019 से स्वीकार कर ग्राम डावोली मीठी एवं भंवरिया को नजरी नक्शे अनुसार गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शेअनुसार नक्शे में तरमीम करने तथा पृथक से बटा नम्बर डालकर वर्तमान खातेदारों के खातें में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना—पत्र धारा—5 पर कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, डेगाना का निर्णय दिनांक 28—2—2019 की सूचना प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को नहीं दी। अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी हाल ही में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर हुई तो बताया कि प्रकरण का निस्तारण हो गया है और प्रकरण की नकल अभिभाषक से प्राप्त की तो उन्होंने माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी जिस पर अपीलार्थी फीस आदि की व्यवस्था कर अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर बिना विलम्ब के अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 171 अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर अपीलार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में से नजरी नक्शेनुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि नया रास्ता स्वीकार करने का प्रावधान केवल मात्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में निहित है ना कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों में नया रास्ता स्वीकार करने का है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी में से रास्ता स्वीकार करने का गैर कानूनी आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा और वकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी अपीलार्थी की खातेदारी में रास्ता दर्ज करने का आदेश सरसरी तौर पर पारित कर दिया जिसका क्षैत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को एल.आर.एक्ट के तहत प्राप्त नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य मौके के विपरीत दर्ज किये गये है क्योंकि उनके द्वारा उल्लेखित रास्ता कदीमी एवं प्रचलित रास्ता नहीं रहा है किन्तु कुछ खेतो के खातेदारों को कम दूरी का रास्ता उपलब्ध कराने के लिए मिलीभगत करके प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस कारण अन्य रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था। पूर्व में आवागमन हतु रास्ता आज भी

मौके पर चालू है एवं कदीमी तौर पर इसका ही उपयोग व उपभोग किया जा रहा है इस प्रकार वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण को पक्षकार की सहमति/रजामंदी अथवा लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा कोई सहमति/रजामंदी नहीं दी गई है तथा राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना क्षैत्राधिकार के बाहर है इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन संधारण योग्य ही नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अन्य खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–2–2019 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार डेगाना के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख व नक्शे ट्रेस में अंकन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ही किया हैं जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात में से जनहित व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए गैर मुमकिन रस्ता दर्ज किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार तरमीम करने तथा पृथक से बटा नम्बर डालकर वर्तमान खातेदरों के खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 6, 8 से 11 व 13 से 16 के अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार, डेगाना की अनुशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–2–2019 द्वारा रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है। उक्त रास्ता दो गावों को जोड़ता है तथा उक्त रास्ते पर सड़क बन गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना ही हो चुकी है। शेष अन्य खसरा नम्बरान में से होता हुआ खसरा नम्बर 171 में से भी रास्ता गुजर रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि पूर्व में रास्ता मेरी जमीन के ऊपर से जाता था अब नीचे मेरी जमीन में खसरा नम्बर 171 में कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, डेगाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के समक्ष चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 के तहत ग्राम डावोली मीठी के आराजी खसरा नम्बर 171 तथा ग्राम भंवरिया के खसरा नम्बर 27, 28, 29, 133/29, 134/29, 135/29, 46, 136 कुल किता–9 कुल रकबा 36.05 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार वर्तमान अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 16 की खातेदारी मे दर्ज है जो कि रास्ते के रूप मे काम आ रही है तथा उक्त रास्ता एक ग्राम से दूसरे ग्राम में आवागमन हेतु जनउपयोगी है तथा ग्रामवासी उक्त रास्ते से आते जाते रहते है, के प्रस्ताव अनुसार नक्शे में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जबकि तहसीलदार डेगाना को विवादित आराजियात से संबंधित खातेदारों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, डेगाना को भिजवाना चाहिए था।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 171 अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर अपीलार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में से नजरी नक्शेनुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जबकि निजी खातेदारी की आराजियात में से गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने से पूर्व मौके की स्थिति की जानकारी एवं पड़ौसी खातेदारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी की विवादित आराजियात खसरा नम्बर 171 के ऊपर से रास्ता जाने का उल्लेख किया है जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। पूर्व में आवागमन हेतु रास्ता आज भी मौके पर चालू है एवं कदीमी तौर पर इस रास्ते का ही उपयोग व उपभोग ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत संबंधित पक्षकार की सहमति/रजामंदी अथवा लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा कोई सहमति/रजामंदी नहीं दी गई है केवल तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर अपीलार्थी की निजी खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 171 में से राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2019 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–2–2019 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2019 बउनवान सरकार बनाम अनराज व अन्य त्रूटिपूर्ण होने से

खारिज किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, डेगाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात खसरा नम्बर 171 की मौके की जांच कर तहसीलदार, डेगाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से मौका रिपोर्ट अनुसार विधिक प्रक्रिय अपनाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01–03–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर